न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

सत्र परीक्षण संख्या 18 सन 2021

सरकार बनाम रामदास उर्फ भज्जू आदि

29.01.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गयी। प्रार्थीगण एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को प्रार्थना पत्र 63 क एवं आपत्ति 72 ख पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण डॉक्टर नीरज जैन व डॉक्टर राजकुमार जैन की ओर से प्रार्थना पत्र 63 क मुकदमा अपराध संख्या 85 सन 2019 में बरामद वादी के चोरीशुदा माल/जेवरात को उनके हक में अवमुक्त किये जाने हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि सोने का सिक्का एक किलो व सोने के बिस्कुट 5 नग वजनी 500 ग्राम प्रार्थी संख्या 2 द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से प्रार्थी संख्या 1 वादी नीरज जैन के पास कस्बा मडावरा में रखा था। उक्त सोने का स्वरूप अभियुक्तगण द्वारा बदलने का प्रयास किया गया था और सोने के कई टुकड़े करके उन्हें आपस में बांटा गया था। उक्त बरामद सोना प्रार्थी संख्या 2 के स्वत्व व स्वामित्व का है तथा शेष बरामद सोने व चांदी का सामान प्रार्थी संख्या 1/वादी के स्वामित्व का है। उक्त बरामद शुदा माल खुर्दबुर्द होने एवं नष्ट होने की पूरी पूरी आशंका है। प्रार्थीगण उक्त माल की सुपुर्दगी पाने पर उसे सुरक्षित दशा में अपने पास रखेंगे। न्यायालय आदेश पर न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे। अतः अभियुक्तगण से बरामद उक्त गले का हार सोने का वजनी चार तोला, मंगलसूत्र सोने का वजनी 30 ग्राम, कान के बाला सोने के 10 जोड़ी वजनी 30 ग्राम, चूड़ी सोने की दो जोड़ी वजनी 60 ग्राम, कान की कनौटी सोने की एक जोड़ी वजनी 40 ग्राम, सोने का सिक्का 1 किलो, सोने के बिस्कुट 5 नग वजनी 500 ग्राम, पायल चांदी की 10 जोड़ी 500 ग्राम व बिछिया चांदी की 30 जोड़ी वजनी 450 ग्राम, पुरानी चांदी 1 किलो 500 ग्राम के उपरोक्त सोने व चांदी के जेवरात को प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 के हक में रिलीज किया जाए।

उक्त प्रार्थना पत्र 63 क के विरुद्ध अभियुक्त अनूप कुमार नजा की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि प्रार्थीगण रिलीज प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थीगण द्वारा आपत्तिकर्ता के मालिकाना हक का सोना जो पुलिस द्वारा आपत्तिकर्ता की दुकान से बरामद किया गया था, को भी रिलीज करने के बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आपत्तिकर्ता ने दिनाँक 22.11.2019 को न्यू पोददार ज्वैलर्स सर्राफा बाजार जबलपुर मध्यप्रदेश से 400.470 ग्राम सोना क्रय किया था, जिसकी रसीद संख्या 981 दिनाँकित 22.11.2019 न्यू पोददार ज्वैलर्स के द्वारा आपत्तिकर्ता की फर्म के नाम से दी गयी थी, जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की जा रही है। दिनाँक 27.11.2019 को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार शुक्ला द्वारा आपत्तिकर्ता की फर्म नजा ज्वैलर्स कटरा बाजार ललितपुर से दो अदद सोने की थपिया जिसमें एक थपिया में दो छेद तथा एक थपिया सिक्कानुमा जिस पर सुपर गोल्ड 99 के 50 शुद्ध सोना लिखा था, बरामद किया गया था। उक्त थपियों से प्रार्थीगण के चोरी गये सामान से कोई मतलब व सरोकार नहीं था। उक्त सोना प्रार्थीगण के हक में रिलीज किये जाने से आपत्तिकर्ता को आर्थिक नुकसान होगा। प्रार्थी के पास उक्त सोने के संबंध में सम्पूर्ण साक्ष्य मौजूद है। अतः सोने की थपियां जो आपत्तिकर्ता के हक में रिलीज की जाएं।

थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 85/2019 अन्तर्गत धारा 457, 380, 411, 413 भा.द.सं. में अभियुक्तगण से बरामद क्रमशः (1)एक अदद प्लास्टिक डिब्बा पारदर्शी सील सर्व मुहर पीली धातु जेवरात, (2) एक अदद प्लास्टिक डिब्बा पारदर्शी सर्व मोहर जेवरात सफेद धातु, (3) एक अदद प्लास्टिक डिब्बा पारदर्शी सील सर्व मोहर पीली धातु बिस्कुट, (4) एक अदद प्लास्टिक डिब्बा सील सर्व मोहर दो अदद बिस्कुट पीली धातु (5) एक अदद प्लास्टिक डिब्बा पारदर्शी सर्व मोहर में चार अदद चूड़िया

पीली धातु व दो अंगूठी जनानी पीली धातु (6) एक अदद प्लास्टिक डिब्बा सील सर्व मोहर में एक सिल्ली, एक सिक्का पीली धातु वजनी करीब 400 ग्राम (7) एक अदद प्लास्टिक डिब्बा पारदर्शी सील सर्व मोहर एक पीली धातु सिक्कानुमा वजनी 200 ग्राम (8) एक अदद प्लास्टिक डिब्बा सील सर्व मोहर में 100 ग्राम 464 मिली ग्राम सोने की थपिया थाना हाजा में अंदर मालखाना सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी डॉक्टर नीरज जैन द्वारा इस आशय की दर्ज कराई गई थी कि दिनाँक 01.08.2019 की रात्रि में जब वादी घर पर सोया था कि सुबह चार बजे जगा तो सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अज्ञात चोर उसके घर में चोरी कर ले गये है। जिसमें नगद रुपये व जेवरात चोरी हो गये हैं। प्रार्थी की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 85/2019 पंजीकृत किया गया तथा विवेचना आरम्भ की गयी। दौरान विवेचना फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण रामदास, रामकिशन, सोहन, देवेन्द्र, उत्तमचन्द्र जैन, अनूप जैन व मनु जैन का नाम प्रकाश में आया तथा अभियुक्त रामदास के कब्जे से दो सोने के बिस्कुट वजन 100 ग्राम, अभियुक्त रामकिशन के कब्जे से एक पीली धातु बिस्कुट वजन 100 ग्राम, अभियुक्त सोहन से एक हार पीली धातु, दो जोड़ी कान के टाप्स, चार अंगूठी जनाना, एक अंगूठी मर्दाना, एक लड़ी पीली धातु, एक टुकड़ा जेवराती पीली धातु, अभियुक्त देवेन्द्र से 36 जोड़ी बिछिया चांदी, 01 जोड़ी बिछिया तीन सेट में चांदी की, 11 जोड़ी पायल चांदी की, 01 कमर का गुच्छा चांदी का, 02 सिक्के लक्ष्मी गणेश जी की फोटो छपे हुए, 08 सिक्के जैन तीर्थंकर की तस्वीर चांदी के, 4 सिक्के जार्ज पंचम चांदी के, 02 सिक्के पुराने पाँच रुपये के इंदिरा गांधी की तस्वीर छपे हुए, अभियुक्त उत्तम चन्द्र जैन से एक अदद सिल्ली सोने की वजन दो सौ ग्राम, चार अदद चूड़ियां सोने की व दो अदद अंगूठी जनानी सोने की, अभियुक्त अनूप कुमार जैन से एक थपिया जिसमें दो छेद हैं व एक थपिया सिक्कानुमा एवं अभियुक्त मनु जैन से एक थपिया सोने की बरामद की गयी। प्रार्थीगण की ओर से उक्त बरामदशुदा माल उनके स्वामित्व व स्वत्व का होने का कथन करते हुए उक्त माल को प्रार्थीगण के हक में रिलीज किये जाने की याचना की गयी है, लेकिन अभियुक्त अनूप कुमार नजा की ओर से आपत्ति करते हुए उसके कब्जे से बरामद एक थपिया दो छेद वाली व एक थपिया सिक्कानुमा उसकी होने का कथन किया गया है।

विधि व्यवस्था **Sunderbhai Ambalal Desai vs. State of U.P. Gujarat AIR 2003 SC 638** में सोने एवं चांदी के आभूषणों एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं के संबंध में यह धारित किया गया है कि– With regrd to valuable articles, such as, golden or silver ornaments or articles studded with precious stones, it is submitted that it is of no use to keep such articles in police custody for years till the trial is over. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्था में यह भी धारित किया गया है कि In case, where such articles are not handed over either to the complainant or to the person from whom such articles are seized or to its claimant, then the Court may direct that such articles be kept in the bank lockers.

इस प्रकार स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह धारित किया गया है कि सोने चांदी के जेवरात एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लंबे समय तक पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्था में यह भी धारित किया गया है कि जो मूल्यवान वस्तुएं यदि किसी के हक में अवमुक्त नहीं की जाती हैं तो उन्हें बैंक लॉकर में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। प्रकरण में विवेचना पूर्ण की जा चुकी है तथा बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है तथा पत्रावली साक्ष्य में नियत है। प्रार्थीगण की ओर से मुकदमा अपराध से संबंधित बरामद माल को उनके हक में अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है। उक्त बरामद माल को प्रार्थीगण के हक में रिलीज किये जाने में

अभियुक्त अनूप कुमार नजा की ओर से एक थपिया दो छेद वाली व एक थपिया सिक्कानुमा को छोड़कर शेष बरामद माल के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गयी है तथा किसी अन्य पक्षकार की ओर से भी बरामद माल की अवमुक्ति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः एक थपिया दो छेद वाली व एक थपिया सिक्कानुमा के स्वामित्व का निर्धारण साक्ष्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही हो पायेगा। ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था**सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात** में प्रतिपादित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए मुकदमा अपराध संख्या 85/2019 में बरामद माल में से एक थपिया दो छेद वाली व एक थपिया सिक्कानुमा को छोड़कर शेष बरामद माल प्रार्थीगण के हक में सशर्त अवमुक्त किया जाना न्यायोचित है तथा शेष बरामद माल एक थपिया दो छेद वाली व एक थपिया सिक्कानुमा को माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में तब तक लिए, जब तक कि उसका स्वामित्व निर्धारित न हो जाए, कोषागार, ललितपुर में जमा कराया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र 63 क आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 85/2019, सत्र परीक्षण संख्या 18/2021 अन्तर्गत धारा 467, 380, 411, 413, 414 भा.द.सं. थाना मडावरा, जिला ललितपुर में प्रार्थीगण डॉक्टर नीरज जैन व राजकुमार जैन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 63 क आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा मुकदमा अपराध संख्या 85/2019 से संबंधित चोरीशुदा बरामद माल में से एक थपिया दो छेद वाली व एक थपिया सिक्कानुमा को छोड़कर शेष बरामद माल को प्रार्थीगण के हक में निम्न शर्तों के अधीन अवमुक्त किया जाता है कि–

क– प्रार्थीगण की ओर से मुबलिग पचास लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत की जाए।

ख– प्रार्थीगण की ओर से इस आशय की अंडरटेकिंग प्रस्तुत की जाए कि प्रार्थीगण उक्त माल मुकदमाती को खुर्दबुर्द नहीं करेंगे, उसका विक्रय नहीं करेंगे तथा आहूत किये जाने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

प्रभारी निरीक्षक, मडावरा को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त बरामद माल में से एक थपिया दो छेद वाली व एक थपिया सिक्कानुमा को छोड़कर शेष बरामद माल को प्रार्थीगण की पहचान सुनिश्चित कर, उनके पक्ष में, यदि किसी अन्य मामले में वाँछित न हो तो अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष बरामद माल एक थपिया दो छेद वाली व एक थपिया सिक्कानुमा को तब तक के लिए, जब तक कि उनके स्वामित्व का निर्धारण नहीं हो जाता है, कोषागार, ललितपुर में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा आख्या न्यायालय के समक्ष नियत तिथि तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनाँकः 29.01.2024

(चन्द्रोदय कुमार),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।